



INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh



e-Stamp

100710071007100

Certificate No. : IN-UP52903169976377U
 Certificate Issued Date : 27-Jul-2022 11:36 AM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/up14256304/ RAEBARELI SADAR, UP-RAE
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1425630498206484830550U
 Purchased by : CHHEDI LAL SO SHAKTI
 Description of Document : Article 5 Agreement, or Memorandum of an agreement
 Property Description : Not Applicable
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : CHHEDI LAL SO SHAKTI
 Second Party : Not Applicable
 Stamp Duty Paid By : CHHEDI LAL SO SHAKTI
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
 (One Hundred only)

सत्यमेव जयते



100

(घोषणा-पत्र)

मैं/हम दीपिका शर्मा 27/07/2022 सत्यनिष्ठा से आस्वासन और वचन देत हूँ/देते हैं कि :-
 (क) मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं हम अनुसूचितधारी से आपूर्ति के प्रारम्भ
 केदिनांक से 2 वर्षों के न्यून अवधि के लिए उपरोक्त उल्लिखित
 उद्देश्योंकेलिए ऊर्जा का भुगतान करने के लिए इच्छा और सहमति रखता हूँ/रखते है।
 (ख) मैं/हम आयोग द्वारा अनुसूचित अनुसूचितधारी की वितरण संहिता (कोड) को उसमें उल्लिखित
 किन्ही उपान्तर्गणों सहित और भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 के उपबंधों का इसके अन्तर्गत बनाई
 गई नियमावली का और विद्युत प्रदाय अधिनियम 1948 के उपबंधों से जहाँ तक कि यहप्रयोज्य है
 बाध्य होने को सहमत हूँ/हैं।

अधिसायी अधिवन्ता
 विद्युत वितरण आण्ड ट्रेनिंग
 रायबरेली



(अ) मैं/हम भी घोषणा करते हैं कि उपरोक्त उपबंधों का पालन करने में मेरे/हमारे विकल रहने की वजह से अनुज्ञापिधारी के लिये यह विधि सम्मत होगा कि वह उपरोक्त कर्मितविवरणसंहिता के निबन्धनों के अनुसार आपूर्ति को रोक दें।

(ब) मैं/हम आगे यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि अनुज्ञापिधारी को आपूर्ति में किसी विघ्न/ऊनी के ऐसे कारणों के लिए जो उसके नियन्त्रण से परे है उत्तरदायी नहीं ठहराया जायेगा।

(क) मैं/हम यह समझता हूँ/समझते हैं कि यह घोषणा पठ दो वर्ष पश्चात इस संहिता में कर्मितप्रक्रिया के अनुसार किसी भी प्रकार द्वारा नोटिस देकर रद्द की जा सकती है।

(ख) जमा योजना सामान्य योजना लघु सिंचाई अथवा अन्य किसी योजना के अन्तर्गत संयोजन प्राप्त करने पर नया परिवर्तक स्थापित किया जाता है अथवा पूर्व से ही स्थापित है लेकिन अधिभारित नहीं है ऐसी दशा में उसी परिवर्तक से 30घंटा पावर कार्पोरेशन द्वारा किसी दूसरे उपभोक्ता को संयोजन प्रदान किया जाता है तो मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

(घ) उपरोक्त कारणोपश यदि संयोजन का स्थाई विद्युत विच्छेदन मेरे द्वारा कराया जाता है तो संयोजन में प्रयोग होने वाली नियम की सामग्री जिसका पैसा 30घंटा पावर कार्पोरेशन के खाते में पूर्व से ही जमा है सामग्री के मूल्य का किसी भी दशा में मेरे द्वारा प्राप्त करने का दावा नहीं किया जाएगा तथा उस सामग्री पर हमारा कोई अधिकार नहीं होगा।

(ङ) उपभोक्ता को पूर्व में स्थापित परिवर्तक से एलसीडी/लैम्प पर निजी नलकूप संयोजन प्रदान किया जाता है लेकिन उपभोक्ता उस परिवर्तक से संयोजन नहीं लेना चाहता है ऐसी परिस्थिति में उपभोक्ता को नये परिवर्तक हेतु छूट के अतिरिक्त नियम द्वारा निर्धारित परिवर्तक की राशि उपभोक्ता को जमा करना होगा जिसके लिए उसे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(च) मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ कि विद्युत संयोजन प्रदान किये जाने के उपरान्त यदि अगले माह तक विद्युत बिल प्राप्त नहीं होता है तो हमारी/स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि अगले माह/आगामी माहों में स्थानीय कार्यालय विद्युत वितरण खण्ड _____ रायबरेली से बिल प्राप्त करेगा/करता रहेगा तथा उसका भुगतान ससमय करेगा/करता रहेगा।

(ज) मैं/हम आगे इस बात पर सहमत हूँ कि मेरे/हमारे द्वारा दिये गये घोषणा पत्र को अनुज्ञापिधारी के साथ किये गये उपरोक्त आशय के किसी अनुबन्ध की तरह समझा जायेगा।

(झ) मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे/हमारे ज्ञान में सत्य हैं। यदि कोई सूचना किसी गलत की दिनांक पर गलत पाई जाती है तो अनुज्ञापिधारी को आपूर्ति रोक देने/काट देने जैसी स्थिति होने का अधिकार होगा।

(ञ) मेरे/हमारे द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपकरण से कोई अनधिकृत परिवर्तन/परिवर्तन या चोरी या दुर्विनियोग या मीटर को छेड़ते हुए या उससे कोई छेड़छाड़ न हो। दूसरे शब्दों में मेरे/हमारे द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अनुज्ञापिधारी द्वारा मुझे/हमको उपलब्ध कराई गई ऊर्जा को विधिसम्मत और प्राधिकरणपूर्ण उपयोग किया जाये। उस दशा में जबकि अनुज्ञापिधारी के पास यह समझने या आशंका करने का युक्तियुक्त आधार हो कि उपकरण में अप्राधिकृत परिवर्तन/परिवर्तन बाहे यह कैसे भी क्यों न हो किया गया है, या दुर्विनियोग या ऊर्जा का उपयोग या मीटर से छेड़ते हुये विद्युत का प्रयोग किया जा रहा है या उससे छेड़छाड़ की गयी है तो अनुज्ञापिधारी का कोई परामिहित प्राधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह उपकरण मीटर और वायरिंग आदि के सामान्य निरीक्षण और परीक्षण के लिए परिसर में प्रवेश कर सके।

(ड) मैं बयान देता हूँ कि जब कभी वह परिसर जिसके लिए विद्युत कनेक्शन लिया जा रहा है खाली करना है तो अनुज्ञापिधारी को विद्युत वितरण संहिता में बर्णित प्रक्रिया के अनुसार सूचित करूँगा।

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान
गवाहों के हस्त



प्रवेश कुमार माथुब S/O सुरेश कुमार
पुरे भक्तान मजरे लखिवासी रायबरेली

अधिशापी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय
रायबरेली

मोहन S/O पुष्पाक

पुरे भक्तान मजरे लखिवासी रायबरेली



INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

₹10

e-Stamp



Certificate No. : IN-UP52999871292467U
 Certificate issued Date : 27-Jul-2022 11:38 AM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14256304/ RAEBARELI SADAR/ UP-RAB
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1425630498220369511238U
 Purchased by : CHHEDI LAL SO SHAKTI
 Description of Document : Article 4 Affidavit
 Property Description : Not Applicable
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : CHHEDI LAL SO SHAKTI
 Second Party : Not Applicable
 Stamp Duty Paid By : CHHEDI LAL SO SHAKTI
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 10
 (Ten only)

01-01-2012

सत्यमेव जयते



₹10

Please write or type below this line

IN-UP52999871292467U

राज्य अधिकांश जमीन जमीनदा निरुप निरुप जमीन जमीन

शपथकर्ता मिनजानिव :
 निवासी :
 निम्न जमान करला है :

Handwritten signature and date 22

धारा १: यह कि शपथकर्ता 3.1.1..... अश्व शक्ति स्वतंत्र कनेक्शन में
() अग्रिम
उन्नत धनराशि विद्युत विभाग में जमा कर चुका है।

धारा २: यह कि शपथकर्ता उ०प्र० विद्युत प्रदाय संहिता २००५ संलग्न ४.१२
खण्ड सं० ४.१४ और (५) विद्युत उर्जा आपूर्ति के लिये उसके अन्तर्गत
करार करता है कि स्टांग कान्स्ट्रक्शन कम्पनी के वाद में मा० उच्च न्यायालय
द्वारा निर्णय धारित किया गया कि उक्त के पक्ष में १००/१.मूल्य का स्टाम्प शुल्क
देय है।

धारा ३: यह कि शपथकर्ता मा० उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध राज्य
सरकार द्वारा मा० उच्च न्यायालय में एस०एल०पी० योजित की गई है। मा०
उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय मान्य है।

धारा ४: यह कि शपथपत्र में लिखित धारा १ त ३ सत्य व सही है। कोई तथ्य
छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मदद करे।

ह० शपथकर्ता

Responsibility Affirmed before me by SShri
Chudhikar
Sworn to
by me
on this day
of this month
at this place
in the presence of
the undersigned
Magistrate
and the
Magistrate
has been
read over and understood by the
Magistrate
and the
Magistrate

